

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय डप्टी क मशर (क0नि0) III वा0क0 हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डप्टी क मशर (क0नि0) III वा0क0 हल्द्वानी के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ए0के0 मीना ले0प0 एवं श्री ए0के0 गुप्ता सुश्री रेखा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21.12.2017 से 30.12.2017 तक श्री पी.के. गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री निखल गोस्वामी व0ले0प0 एवं श्री ए.के. गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25.01.2017 से 03.02.2017 तक श्री के.एल. भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: हल्द्वानी एवं लाल कुआ

(ii)(अ) राजस्व ववरण:

वगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रुलाख में)
2014-15	18908.44
2015-16	22886.23
2016-17	23614.67

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	बजट आबंटन		व्यय		बचत	
	आयोज नागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर
2014-15						
2015-16				शून्य		
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अ धक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आबंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाईए..... श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव- ए डशनल क मशर- ज्वाइन्ट क मशर - डप्टी क मशर - सहायक आयुक्त- वा णज्य कर अ धकारी

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध: लेखापरीक्षा में कार्यालय डप्टी क मशर (क0नि0) III वा0क0 हल्द्वानी को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय डप्टी क मशर (क0नि0) III वा0क0 हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तुतः जांच हेतु माह का चयन :

व्यय: -

राजस्व: -

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्त) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग - 2 अ

प्रस्तर-01 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹52.35 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा 8 (B) के अंतर्गत पूंजीगत माल से भन्न माल कसी अपंजीकृत व्योहारी या ऐसे व्योहारी जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है से क्रय कया गया हो तो इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। इसी अधिनियम की धारा 58 की उपधारा 1 (xi) के अंतर्गत कोई व्योहारी इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में कसी धनराश का गलत दावा करता है या कसी मथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है तो ₹5000 या दावाकृत धनराश की तीन गुना धनराश, जो भी अधिक हो अर्थदण्ड का दायी होगा।

1. कार्यालय डप्टी कमश्नर-तृतीय (कर निर्धारण), राज्य कर, हल्द्वानी की नमूना जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री राहुल सप्लायर्स टिन 05011172970 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2011-12 में स्क्रेप की ₹58982318 की खरीद पर ₹2359293 की आई टी सी का क्लेम कया गया था। व्यापारी द्वारा बालाजी इंटर प्राइजेज़ टिन 05010420832 से की गयी खरीद पर ₹877991 आई टी सी का क्लेम कया गया था जब क फ़र्म का पंजीयन निरस्त पाया गया एवं पी के ट्रेडर्स, काशीपुर टिन 05008343092 की खरीद पर ₹591709 आई टी सी का क्लेम कया गया था जब क उक्त फ़र्म का पंजीयन दिनांक 13.07.2011 को निरस्त कर दिया गया था। इस लए व्यापारी द्वारा गलत क्लेम की गयी आई टी सी ₹1469700 (₹877991 + ₹591709) अनुमन्य कया जाना अपेक्षित नहीं था (सूची संलग्न)। गलत क्लेम की गयी आई टी सी पर उक्त अधिनियम के अनुसार मथ्या क्लेम की गयी आई टी सी ₹1469700 का तीन गुना ₹4409100 अर्थदण्ड आरोपणीय था जो वभाग द्वारा आरोपित नहीं कया गया।

2. व्यापारी सर्वश्री कोहिनूर टॉक इंडस्ट्रीज़ टिन 05011201197 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में व्यापारी यूनीडोर मनरल्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर टिन 05012945936 से सोप स्टोन लम्प्स आदि की ₹5531971 की खरीद की गयी थी जिस पर ₹275301.91 का आई टी सी का क्लेम कया गया था। जब क टिन वभाग द्वारा निरस्त कया जा चुका था इस लए मथ्या क्लेम की गयी आई टी सी ₹275302 का तीन गुना ₹825906 अर्थदण्ड आरोपणीय था जो वभाग द्वारा आरोपित नहीं कया गया।

अतः उक्त दोनों प्रकरणों में मथ्या क्लेम की गयी आई टी सी ₹1745002 (₹1469700 + ₹275302) का तीन गुना ₹5235006 अर्थदण्ड आरोपणीय था।

वभाग के संज्ञान में लाये जाने पर वभाग द्वारा उक्त दोनों प्रकरणों में जाँचोपरांत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः प्रकरण को शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - 2 ब

प्रस्तर-01 कर का अनारोपण ₹11.18 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धन कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार कसी व्योहरी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर कए गए प्रत्येक वक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत कर आरोपित कया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 4 (घ) के अनुसार राज्य के बाहर से क्रय कए गए या प्राप्त कसी करादेय माल के वक्रय पर कर आरोपित कया जाएगा।

कार्यालय डप्टी कमश्नर-तृतीय (कर निर्धारण), राज्य कर, हल्द्वानी की नमूना जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री अपोलो टायर्स लमटेड टिन 05001443288 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2011-12 में ₹371258662 के माल की ₹357794689 में बिक्री की गयी थी। व्यापारी द्वारा ₹8283723.79 का क्लेम लॉस दिखाया गया था जिसको प्राप्त माल में से घटाने के बाद स्टॉक में लया गया था।

अतः ₹8283723.79 का क्लेम लॉस पर 13.5 प्रतिशत की दर से ₹1118303 कर आरोपणीय था जो वभाग द्वारा आरोपित नहीं कया गया तथा इस पर जमा करने की तिथ तक ब्याज भी देय है।

वभाग के संज्ञान में लाये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क कम्पनी द्वारा टायर ट्यूब पर वारंटी दी जाती है तथा इसके अंतर्गत तय अवध में जो डफेक्टिव खराब टायर रिप्लेसमेंट हेतु प्राप्त होने पर कम्पनी की पॉलसी के अनुसार नए टायर कीमत कम करके लए जाते हैं तथा इस नुकसान को क्लेम लॉस के रूप में लेखो में दर्ज कया जाता है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योँक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 21.07.2004 द्वारा मोहम्मद इकराम एंड संस बनाम कमश्नर व्यापार कर, उ. प्र. निर्णीत है क निर्माता और उपभोक्ता के बीच वारंटी एग्रीमेंट के अंदर यदि कोई माल रिप्लेसमेंट कया जाता है तो उसे उस माल पर बिक्री मान कर करदेयता बनेगी।

अतः उक्त राजस्व क्षति ₹11.18 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - 2 अ

प्रस्तर-02 कर का अनारोपण ₹12.40 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार कसी व्योहरी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर कए गए प्रत्येक वक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत कर आरोपित कया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 4 (क) के अनुसार कसी करादेय माल का अंतरराज्यिक व्यापार या वाणज्या के दौरान वक्रय पर कर आरोपित कया जाएगा। कार्यालय डप्टी कमश्नर-तृतीय (कर निर्धारण), राज्य कर, हल्द्वानी की नमूना जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री स्वास्तिक उद्योग टिन 05001692384 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में ₹119043683 की बिक्री प्रदर्शित की गयी थी जिसमें ₹24806539 का स्टॉक ट्रान्सफर फॉर्म-एफ के सापेक्ष कया गया था।

व्यापारी द्वारा स्टॉक ट्रान्सफर के संबंध में क्रेता व्यापारी से माल बेचने हेतु कोई लखत समझौता नहीं कया गया था और न ही क्रेता व्यापारी उक्त व्यापारी का ब्रांच है। यह भी उल्लेखनीय है क व्यापारी की बैलेन्स शीट में स्टॉक ट्रान्सफर करके की गयी बिक्री के सापेक्ष क्रेता व्यापारी को कोई कमीशन नहीं दिया गया था। इस लए उक्त माल की बिक्री ₹ 24806539मानते हुए 5 प्रतिशत की दर से ₹1240327 कर आरोपणीय था जो वभाग द्वारा आरोपित नहीं कया गया।

वभाग के संज्ञान में लाये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क व्यापारी द्वारा स्वनिर्मित चावल का स्टॉक ट्रान्सफर ₹24806539 कया है जिसके समर्थन में ऑनलाइन जेनरेट फॉर्म-एफ दाखल है, जिनमें चालान, बिल्टी, माल प्राप्ति की तिथि आदि समस्त ववरण अंकित है। माल का मूवमेंट प्रांत बाहर होना प्रमाणित पाया गया एवं CST ACT की धारा 6a के अंतर्गत उक्त संव्यवहार पर वधक रूप से कर आरोपणीय नहीं बनता है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यो क व्यापारी द्वारा क्रेता व्यापारी को कोई कमीशन के रूप में धनराश नहीं दी गयी है। इस लए इसको बिक्री ही माना जाएगा।

अतः ₹12.40 लाख राजस्व हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-01 प्रपत्र-सी का सत्यापन न कराया जाना।

कार्यालय डप्टी क मशर-तृतीय (कर निर्धारण), राज्य कर, हल्द्वानी की नमूना जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री कोहिनूर टाल्क इंडस्ट्रीज़ टिन 05011201197 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में ₹30567420 की केन्द्रीय बिक्री की गयी थी जिसके समर्थन में प्रपत्र-सी प्रस्तुत कए गए थे। HI-TECH MINERALS & CHEMICALS द्वारा निर्गत कए गए प्रपत्र-सी इस प्रकार है।

क्रम संख्या	अव ध	क्रमांक	धनरा श
1	प्रथम तिमाही	091 21 38C577499	7058298
2	द्वितीय तिमाही	091 21 38C577508	3714075
3	तृतीय तिमाही	01 91 762	5495658
4	चतुर्थ तिमाही	01 91 775	5201388
योग			21469419

वभाग द्वारा उक्त प्रपत्र-सी का सत्यापन कराये बिना व्यापारी को लाभ दे दिया गया था।

वभाग के संज्ञान में लाये जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क फॉर्म-सी के सत्यापन हेतु प्रथक से पत्र प्रेषित कया जा रहा है।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - 2 ब

प्रस्तर-02 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹0.72 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 की उपधारा 1(vii)(ख) के अनुसार युक्ति युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया गया है तो देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत, कन्तु अधिक से अधिक 25 प्रतिशत, यदि कर रुपये दस हजार तक हो, और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये से अधिक हो, अर्थदण्ड का दायी होगा।

कार्यालय डप्टी कमश्नर-तृतीय (कर निर्धारण), राज्य कर, हल्द्वानी की नमूना जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री सरमोली माइन्स टिन 05012646012 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में अपना स्वीकृत कर वलम्ब से जमा किया गया था जो इस प्रकार है।

माह	देय तिथि	जमा करने की तिथि	धनराशि	अर्थदण्ड
अप्रैल	31.05.2013	16.08.2013	168980	16898
मई	30.06.2013	16.08.2013	168980	16898
जून	31.07.2013	16.08.2013	168981	0
जुलाई	31.08.2013	25.10.2013	3338	333.8
अगस्त	30.09.2013	25.10.2013	3338	333.8
सितम्बर	31.10.2013	25.10.2013	3340	0
अक्टूबर	30.11.2013	24.01.2014	57766	5776.6
नवम्बर	31.12.2013	24.01.2014	57766	5776.6
दिसम्बर	31.01.2014	24.01.2014	57768	0
जनवरी	28.02.2014	21.04.2014	130017	13001.7
फरवरी	31.03.2014	21.04.2014	130017	13001.7
मार्च	30.04.2014	21.04.2014	130018	0
योग			1080309	72020.2

उक्तानुसार व्यापारी पर स्वीकृत कर वलम्ब से जमा करने पर वभाग द्वारा अर्थदण्ड आरोपित किया जाना अपेक्षित था जो वभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

वभाग के संज्ञान में लाये जाने पर वभाग द्वारा अग्रतर कार्यवाही करने के उपरांत अवगत कराने का आश्वासन दिया गया है।

अतः प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
32/2013-14	01,02	01,02,03,04	-
14/2014-15	-	01	-
47/2015-16	-	01,02,03,04	-
43/2016-17	-	01,02	1,2

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का ववरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय डप्टी कमिश्नर (क0नि0) III वा0क0 हल्द्वानी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएं:
टिप्पणी- शून्य
3. लेखापरीक्षा अवध में निम्न लिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती स्मिता	डप्टी कमिश्नर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय डप्टी कमिश्नर (क0नि0) III वा0क0 हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र